पत्र संख्या–2/अरा0स्था0–12–05/2015– 8860 –/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना/दिनांक– 12/10/15

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव(व्यय), वित्त विभाग।

सेवा में,

प्रधान सचिव–सह–सदस्य सचिव,
उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

2015
13220(1)

विशेष कार्य पदा० (उच्च स्तरीय समिति)

कृपया नियमानुसार कार्रवाई करें।

विषय : **वित्त विभाग से संबंधित नियोजित पदों पर नियमितिकरण से संबंधित अभ्यावेदन पर प्रधान समिति मंतव्य उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग : **भवदीय पत्रांक–13, दिनांक–03.07.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि इसके पूर्व श्री अन्जय कुमार सिन्हा के आवेदन दिनांक–04.06.2015 के संदर्भ में भवदीय पत्रांक–14, दिनांक–10.07.2015 द्वारा मांगा गया मंतव्य वित्त विभागीय कार्यालय पत्रांक–6705, दिनांक–29.07.2015(छाया प्रति संलग्न) द्वारा भेजा जा चुका है।

पुनः श्री सिन्हा के अभ्यावेदन दिनांक–04.06.2015 के संदर्भ में ही प्रासंगिक भवदीय पत्र द्वारा मंतव्य की अपेक्षा की गयी है। अतः पूर्व प्रेषित मंतव्य संबंधी पत्र की प्रति पुनः संलग्न कर भेजी जाती है।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय),
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

12/10

80/97 M

14/10/15

S10–895
14/10/15
श्री सुशील
14-10-15

D/Pankaj/KNJha/ Draft-22.9.2015.docx

140

पत्रांक- 2/आ०मे०-19/2015/6705/वि०

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

प्रेषक,

एच.आर.श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

प्रधान सचिव-सह-सदस्य सचिव,
उच्चस्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 29/7/15

विषय:- **श्री अन्जय कुमार सिन्हा, डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा नियमितिकरण के अभ्यावेदन पर मंतव्य उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग:- आपका पत्रांक 14 दिनांक-10.07.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि श्री अन्जय कुमार सिन्हा डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा आकस्मिकता के आधार पर वित्त विभाग में बेल्ट्रॉन से आउटसोर्स्ड है । प्रासंगिक पत्र द्वारा याचित बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	वांछित बिन्दु	वित्त विभागीय प्रतिवेदन
1	पद सृजित है अथवा नहीं ।	**पद सृजित नहीं है ।**
2	पद का विज्ञापन किया गया था अथवा नहीं ।	पद का विज्ञापन नहीं किया गया था ।
3	इनके चयन में कोई चयन प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था अथवा नहीं ।	कोई विशेष चयन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया । इनकी सेवा बेल्ट्रॉन से आउसोर्स्ड की गयी है ।
4	चयन समिति का गठन विधिवत किया गया अथवा नहीं ।	चयन समिति का गठन नहीं किया गया था ।

श्री अन्जय कुमार सिन्हा द्वारा प्रसांगिक पत्र के साथ संलग्न आवेदन वित्त विभाग में भी उच्चस्तरीय समिति के समक्ष रखने हेतु दिया गया था, जिसे विभाग द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है ।

सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन,

24/7

(एच.आर.श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)

**ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।